



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)



Phone 0141-2227634, E-mail: jsadmin.rdd@rajasthan.gov.in Website : rdprd.gov.in


क्रमांक एफ 8(12)ग्रावि/ग्रुप-1/2002/247-254 जयपुर, दिनांक -

—:संशोधित आदेश:—

15 JAN 2022

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.04.2021 में संशोधन किया जाकर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की पालना हेतु गठित समिति में समिति अध्यक्ष श्रीमती ऋतु गुप्ता, परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, वित्त एवं लेखा का स्थानान्तरण/पदस्थापन होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्रीमति प्रीति सिंह, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (Skills and Convergence) को तत्काल प्रभाव से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत गठित समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

यह शासन सचिव महोदय के स्तर से अनुमोदित है।


(गोपाल सिंह)
शासन उप सचिव(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग, लाल कोठी, टोंक रोड़ जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, जयपुर।
6. श्रीमती प्रीति सिंह, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, आजीविका, उद्योग भवन, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव(प्रशासन)